

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक: 26.06.2015

विषय :- उपार्जित छुट्टी / शिशु देखभाल छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 220A एवं 227 में क्रमशः शिशु देखभाल छुट्टी एवं उपार्जित छुट्टी का प्रावधान किया गया है। नियम 220A के उपनियम -10 में प्रावधान है कि “शिशु देखभाल छुट्टी के दौरान महिला कर्मचारी को वही छुट्टी वेतन प्राप्त होगा जो छुट्टी पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त कर रही हों”।

2. बिहार सेवा संहिता के नियम 220(A) के उपनियम-3 में यह भी उल्लेखित है कि छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पुर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना, कोई भी कर्मचारी शिशु देखभाल छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा ।

3. बिहार सेवा संहिता के नियम 230 में प्रावधान है कि सरकारी सेवक किसी भी समय उसकी बाकी उपार्जित छुट्टी समूची या अंशतः दी जा सकती है ।

4. बिहार सेवा संहिता के नियम 248 (संशोधित) में प्रावधान है कि अर्जित छुट्टी पर गया सरकारी सेवक अर्जित छुट्टी में जाने के पूर्व में देय वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा । परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि छुट्टी वेतन की निकासी छुट्टी के दौरान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् की जाएगी अथवा नहीं ।

5. राजपत्रित पदाधिकारी जब उपार्जित/शिशु देखभाल छुट्टी पर प्रस्थान करते हैं तब उन्हें अपने धारित पद का प्रभार त्याग करना पड़ता है । इस कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में वेतन भुगतान तब तक बंद रहता है जब तक कि वे पुनः धारित पद का प्रभार ग्रहण न कर लें, जहाँ से छुट्टी पर गये थे ।

6. भारत सरकार में प्राप्ति एवं व्यय (Receipts and Payments) नियमावली के नियम, 87 में अंकित प्रावधानों के आलोक में जब कोई सरकारी सेवक सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् छुट्टी स्वीकृत कराकर छुट्टी में जाता है तब छुट्टी वेतन का भुगतान संबंधित स्थापना कार्यालय से प्रत्येक माह में किया जाता है ।

7. विभिन्न कार्यालयों/पदधारकों द्वारा यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है कि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के उपरांत कोई सरकारी सेवक शिशु देखभाल छुट्टी /उपार्जित छुट्टी में प्रस्थान करता है तब उसे प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरांत छुट्टी वेतन भुगतान होगा अथवा नहीं ।

8. सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है :-

(i) सरकारी सेवक को छुट्टी आदेयता प्रमाण पत्र (राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में महालेखाकार /वित्त (वैयक्तिक) दावा कोषांग से प्राप्त) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी उपार्जित छुट्टी/शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकृत कर देता है तो वैसी स्थिति में प्रत्येक माह के अंत में छुट्टी वेतन (अर्जित छुट्टी में जाने के पूर्व देय वेतन के बराबर) का भुगतान किया जायेगा । छुट्टी वेतन के अंतर्गत सिर्फ मूल वेतन, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा । परिवहन भत्ता एवं नियत यात्रा भत्ता भुगतेय नहीं होगा । राशि की निकासी उस स्थापना से होगी जहाँ से वे छुट्टी पर गये ।

(ii) स्वीकृत छुट्टी के उपभोग के क्रम में स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में सरकारी सेवक को नए स्थान पर योगदान/कार्यभार ग्रहण करने के पहले तक छुट्टी वेतन का भुगतान पूर्व स्थापना (जहाँ से छुट्टी पर गये थे) से किया जायेगा ।

(iii) जिन राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में वेतन पूर्ण अपेक्षित है, उन्हें छुट्टी स्वीकृति आदेश के आलोक में छुट्टी वेतन का भुगतान होगा, परंतु छुट्टी उपभोग के बाद अपने धारित पद का पदभार ग्रहण करने के उपरांत महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक) दावा कोषांग द्वारा छुट्टी वेतन पूर्ण निर्गत किया जायेगा तथा उसके आधार पर भुगतान की गयी राशि का सामंजस्य कर लिया जायेगा ।

विश्वासभाजन

₹0/-

(रवि मिश्र)

प्रधान सचिव

सं०:-3/एफ-01-04/2008-.5632 /वि० पटना, दिनांक.-26.06.2015

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव

सं०:-3/एफ-01-04/2008-.5632 /वि० पटना, दिनांक.-26.06.2015

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव

सं०:-3/एफ-01-04/2008-.5632 /वि० पटना, दिनांक.- 26.06.2015

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव

सं०:-3/एफ-01-04/2008-.5632 /वि० पटना, दिनांक.-26.06.2015

प्रतिलिपि- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Anibal
(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव